न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–63 सन् 2023

जमादार राय ..........................वादी।

बनाम

भगेसर राय वगै0...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 23.08.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 08.08.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद वादी प्रतिवादी के खिलाफ जमीमा नं0 01 की भूमि में 1/2 हिस्सा का अलग तख्ता कायम करने हेतु वाद दाखिल किया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण समाग्री को देखते हुए वादी द्वारा इंतनाई आवेदन वो अधिवक्ता आयुक्त का आवेदन दाखिल किया गया। जिसको न्यायालय द्वारा सुनकर उभय पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ। इसके बावजूद प्रतिवादी खाता नं0 178, खेसरा नं0 356 में निरिक्षण के समय अर्धनिर्माण पर इंतनाई आदेश पारित होने के बावजूद निर्माण कर रहे हैं तथा उसका स्वरूप बदल दिए हैं। प्रतिवादी द्वारा किए गए गैर कानूनी हरकत एवं न्यायालय के आदेश का अवमानना होने उपरांत श्रीमान् को आवेदन दे रहा है। ताकि प्रतिवादी के द्वारा किए गए अवमानना के खिलाफ वादी उचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु याचिका दाखिल कर सके। उक्त याचिका दाखिल करने हेतु उपरोक्त जमीन का वर्तमान स्वरूप आना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वर्तमान स्वरूप मंगाने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी पुनः अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तु स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी द्वारा

विवादित भूमि पर निर्माण समाग्री को देखते हुए वादी द्वारा इंतनाई आवेदन वो अधिवक्ता आयुक्त का आवेदन दाखिल किया गया। जिसको न्यायालय द्वारा सुनकर उभय पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ। इसके बावजूद प्रतिवादी खाता नं0 178, खेसरा नं0 356 में निरिक्षण के समय अर्धनिर्माण पर इंतनाई आदेश पारित होने के बावजूद निर्माण कर रहे हैं तथा उसका स्वरूप बदल दिए हैं। प्रतिवादी द्वारा किए गए गैर कानूनी हरकत एवं न्यायालय के आदेश का अवमानना होने उपरांत श्रीमान् को आवेदन दे रहा है। ताकि प्रतिवादी के द्वारा किए गए अवमानना के खिलाफ वादी उचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु याचिका दाखिल कर सके। उक्त याचिका दाखिल करने हेतु उपरोक्त जमीन का वर्तमान स्वरूप आना अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु विवादित भूमि का वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 08.08.2025 को 3000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राजू रजक को नियुक्ति किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्
सोनपुर, सारण।